TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE **GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI** (REVENUE DEPARTMENT:DELHI) 5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 11(11)/Rev. Estt./99/P.file/ 454

Dated: 23/05/2012

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. 34 dated 25.01.2012, Shri. Shurbir Singh, IAS(AGMU:2004)/, has joined as Deputy Commissioner(North-West), District North-West on 31.01.2012(A/N), Now, therefore,

(i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri. Shurbir Singh, IAS (AGMU:2004)/Deputy Commissioner as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to him so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

(ii) In Exercise of powers conferred by section 3(6) of the Delhi land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of Capital Territory of Delhi is pleased to empower Shri Shurbir Singh, IAS (AGMU:2004)/Deputy Commissioner to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of Deputy Commissioner in

the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

(iii) In exercise of powers conferred by section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri. Shurbir Singh, IAS (AGMU:2004)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

(iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1) (a) of the Punjab land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Shri. Shurbir Singh ,IAS (AGMU:2004)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the

Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

(v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri. Shurbir Singh ,IAS (AGMU:2004)/Deputy Commissioner all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of Deputy

Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

(vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri. Shurbir Singh ,IAS (AGMU:2004)/Deputy Commissioner and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer(Consolidation)passed under Section 21(3) of the said Act to him so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

> BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

> > (Kuldeep Singh Gangar)

Dated:

Addl. Secretary (Revenue)

F No. 11(11)/Rev. Estt./99/P.file/

Copy forwarded for information and necessary action to:-

The Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette

2 Officer concerned (Shri Shurbir Singh ,IAS (AGMU:2004)/Deputy Commissioner (North-

3 The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.

4 P.S. to Pr. Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.

Guard file.

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राजस्व विभाग

5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली.

संख्या एफ. 11(11)/रा. /स्थ./99/पार्ट फाईल 454

दिनांकः 23/03/20/2

अधिसुचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 34 दिनॉक 25.1.2012 के सन्दर्भ में श्री शूरबीर सिंह, आई0ए0एस0 '(ए०जी०एम0यू०-2004) ने दिनॉक 31.01.2012 (अपराहन) को उपायुक्त उत्तर- पश्चिम ;, जिला उत्तर- पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है। अत:

- दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शूरबीर सिंह, आई0ए0एस0 (ए0जी0एम0यू0-2004)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान
- दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2. के उपराज्यपाल श्री शूरबीर सिंह, आई०ए०एस० '(ए०जी०एम०यू०-2004)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतू शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 3. प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शुरबीर सिंह, आई0ए0एस0 '(ए0जी0एम0यू0-2004)/उपायुक्त को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त 4. शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शूरबीर सिंह, आई०ए०एस० (ए0जी0एम0यू0-2004)/उपायुक्त को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त 5. शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शूरबीर सिंह, आई०ए०एस० '(ए0जी0एम0यू0-2004)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 की धारा 6. 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शूरबीर सिंह, आई0ए0एस0 '(ए0जी0एम0यू0-2004)/उपायुक्त को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21 (4)के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं ।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर

> > anovain line Jim

(कुलदीप सिंह गंगर) अति. सचिव ;राजस्व)

संख्या एफ 11(11)/रा. /स्थ./99/पार्ट फाईल

दिनांक:

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1. उपसचिव सा. प्रा. रा. सेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी अनुवाद सहित ।
- 2. संबंधित अधिकारी, श्री शूरबीर सिंह, आई०ए०एस० ं(ए०जी०एम०यू०-2004)/ उपायुक्त उत्तर- पश्चिम , ।

अ. सचिव (राजस्व)/ मण्डलायुक्त, दिल्ली, कें निजी सचिव ।

4. प्रणाली विश्लेक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ।

5. गार्ड फाइल ।

dredge one

(राजीव कुमार)